

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 568.]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2022—आश्विन 26, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2022

क्र. 15687-259-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २७ सन् २०२२

मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२२

[दिनांक १५ अक्टूबर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १८ अक्टूबर २०२२ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९६४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२२ है.
- धारा १५ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक २९ सन् १९६४) की धारा १५ में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
- “(क) वह जुमाने से दंडनीय होगा जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा तथा पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा;”.

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2022

क्र. 15687-259-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2022 (क्रमांक 27 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 27 OF 2022

**THE MADHYA PRADESH TENDU PATTI (VYAPAR VINIYAMAN) SANSHODHAN
ADHINIYAM, 2022**

[Received the assent of the Governor on the 15th October, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 18th October, 2022.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam,
1964.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam, 2022.

Amendment of Section 15. 2. In Section 15 of the Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964 (No. 29 of 1964), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) he shall be punishable with fine which shall not be less than five thousand rupees and may extend to fifty thousand rupees;”.